प्रेस नोट- दिनांक 24.09.2023
थाना कोतवाली सदर ,जनपद उन्नाव ।

- **तीन शातिर लुटेरे गिरफ्तार**
- **20 सिंतबर को थाना कोतवाली सदर क्षेत्र में घटित सेल्समैन के साथ लूट की घटना को तीनों लुटेरों ने दिया था अंजाम**
- **घटना में प्रयुक्त एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर , लूटा गया एक अदद मोबाइल फोन व 4,040 रु0 व घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल बरामद**
- **थाना कोतवाली सदर व एसओजी/सर्विलांस टीम द्वारा तीनों को किया गया गिरफ्तार**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस एवं एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 20.09.2023 को थाना क्षेत्र में घटित लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए तीन शातिर लुटेरों को कब्जे से लूट की घटना में प्रयुक्त एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर , लूटा गया एक अदद मोबाइल फोन व 4,040 रु0 व घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 21.09.2023 को श्री रंजीत कुमार जायसवाल पुत्र राम चन्द्र जायसवाल नि0 475 जवाहर नगर उन्नाव प्रबन्धिक देशी शराब की दुकान जमुका द्वारा थाना कोतवाली सदर पर तहरीर दी गई कि राकेश कुमार जायसवाल पुत्र काशी प्रसाद जायसवाल नि0 जनसार थाना अजगैन उन्नाव मेरी दुकान पर सेल्स मैन के पद पर काम करता है दि0 20/09/2023 को रात 10 बजे सेल्समैन राकेश दुकान बन्द कर तथा कैश बैग में रखकर मेरे पास आ रहा था तभी रेलवे क्रासिंग के पास पहले पुलिया के पास अज्ञात लोगो ने सेल्स मैन राकेश को गोली मार कर घायल कर दिया तथा बैग में रखा 25000 रु० तथा मोबाइल छीन कर भाग गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 795/23 धारा 394 भा0दं0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 24.09.2023 को प्रभारी निरीक्षक श्री अश्वनी कुमार मिश्रा, उ0नि0 मानिक राम वर्मा, उ0नि0 प्रदीप कुमार यादव, उ0नि0 सुभाष चन्द्र मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुखबिर खास की

सूचना पर शेखपुर नरी मोड़ पर अपाचे मोटरसाईकिल UP 35 AG 5814 सवार अभियुक्तगण 1.अमन राजपूत पुत्र जगन्नाथ निवासी खंजी खेड़ा थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 21 वर्ष 2. अमरजीत पुत्र श्रीराम गौतम निवासी लोहारखेड़ा थाना कोतवाली गंगाघाट उन्नाव उम्र करीब 20 वर्ष बताया 3. कुलदीप उर्फ बाबू पुत्र महादेव गौतम निवासी भिटवा थाना कोतवाली गंगाघाट उन्नाव हाल पता किशोरी खेड़ा थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष को कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर , एक अदद मोबाइल फोन व 4,040 रु0 बरामद हुये। पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि दिनांक 20.09.2023 को रात्रि में करीब 10.30 बजे ग्राम हुसैन नगर रेलवे क्रासिंग के पास ग्राम चौसंदा में देशी शराब की दुकान के सेल्स मैन का पीछा करके उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर रोककर उससे बैग छीनने लगे लेकिन जब उस व्यक्ति ने बैग नही छोड़ा और हम लोगो से भिड़ गया तो कुलदीप उर्फ बाबू ने अपने पास लिये तमंचे से उस पर फायर कर दिया, हम लोग उसका बैग छीनकर भाग गये थे, आगे जाकर बैग खोलकर देखा तो उसमे कुल 2720 रुपये व एक मोबाइल था, जिसमे से रुपये हमने बांट लिये थे व मोबाइल अमरजीत को दे दिया था, बरामद तमंचा उपरोक्त लूट की घटना से ही संबन्धित है। अभियुक्त कुलदीप उपरोक्त द्वारा बताया गया कि करीब 15 दिन पहले मैने अपने साथी साकेत पाल पुत्र हेमराज पाल निवासी सम्भर खेड़ा थाना कोतवाली गंगाघाट उन्नाव के साथ मिलकर एक डाक्टर से ट्रांस गंगा सिटी में दस हजार रुपये व एक मोबाइल की लूट की थी, आज बरामद रुपयों में से दो हजार रुपये उसी लूट के हैं। उक्त घटना के सम्बन्धं में थाना गंगाघाट उन्नाव में मु0अ0स0 528/2023 धारा 392/411 भादवि0 पंजीकृत है। अवैध तमंचा, लूट के रुपयों व मोबाइल की बरामदगी के संदर्भ में उपरोक्त अभियोग में धारा 411 भा0दं0वि0 व 3/25 आयुध अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. अमन राजपूत पुत्र जगन्नाथ निवासी खंजी खेड़ा थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 21 वर्ष
2. अमरजीत पुत्र श्रीराम गौतम निवासी लोहारखेड़ा थाना कोतवाली गंगाघाट उन्नाव उम्र करीब 20 वर्ष बताया
3. कुलदीप उर्फ बाबू पुत्र महादेव गौतम निवासी भिटवा थाना कोतवाली गंगाघाट उन्नाव हाल पता किशोरी खेड़ा थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी-

लूट की घटना में प्रयुक्त एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ,
लूटा गया एक अदद मोबाइल फोन व 4,040 रु0 व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

अपराधिक इतिहास कुलदीप उपरोक्त –

1.मु0अ0सं0 113/22 धारा 307/34/504 भादवि थाना गंगाघाट
2.मु0अ0सं0 152/23 धारा 323/427/504/506 भादवि थाना गंगाघाट
3.मु0अ0सं0 528/2023 धारा 392/411 भा0दं0वि0 थाना गंगाघाट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक अश्वनी कुमार मिश्रा
उ0नि0 मानिक राम वर्मा
उ0नि0 प्रदीप कुमार यादव

उ0नि0 सुभाष चन्द्र
हे0का0 संजीव कुमार
हे0का0 भाल चन्द्र,
हे0का0 प्रभाकर राय
का0 राजेश सिंह
का0 अमन चौधरी
का0 सुनील कुमार

एसओजी टीम-
प्र0नि0 देवी प्रसाद तिवारी
हे0का0 सतेन्द्र कुमार
हे0का0 आशीष मिश्रा
हे0का0 सुनील कुमार
का0 रवि
का0 गौरव कुमार
का0 विकास भदौरिया

सर्विलांस टीम-
का0 राधेश्याम सर्विलांस

प्रेस नोट- दिनांक 24.09.2023

थाना गंगाघाट,जनपद उन्नाव।

उन्नाव पुलिस द्वारा गैंगस्टर नसीम अहमद पुत्र हाजी अखलाख अहमद नि0 के0डी0ए0 कालोनी जाजमऊ कानपुर नगर हाल पता अखलाख नगर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव के विरुद्ध जिलाधिकारी महोदया उन्नाव के आदेश के क्रम में अन्तर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए उक्त अपराधी द्वारा समाजविरोधी क्रियाकलापों से अर्जित की गई अवैध अचल सम्पत्ति जिसकी कीमत कुल 01 अरब 22 करोड़ 65 लाख 26 हजार रुपए को जब्त/कुर्क किया जा रहा है।

- **संक्षिप्त विवरण -** मु0अ0सं0 440/23 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर अधिनियम थाना गंगाघाट में नामित अभियुक्त नसीम अहमद पुत्र हाजी अखलाख अहमद नि0 के0डी0ए0 कालोनी जाजमऊ कानपुर नगर हाल पता अखलाख नगर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं । अभियुक्त नसीम अहमद उपरोक्त द्वारा आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु अवैध तरीके से गैंग बनाकर थाना गंगाघाट क्षेत्रांतर्गत कटरी पीपरखेड़ा व आसपास के इलाकों में गरीब किसानों की जमीन कब्जा कर उसको प्लाटिंग कर अवैध रूप से बेंचकर आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहा है ।अभियुक्त नसीम अमहद उपरोक्त अपने भाई व भतीजे के साथ मिलकर संगठित गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहते हुए आपराधिक कृत्य कारित कर कई संपत्तियों का अर्जन किया गया है तथा स्वयं अपने व अपनी पत्नी व पुत्र के नाम से क्रय किया गया है । अभियुक्त नसीम उपरोक्त के पास जमीन पर कब्जा व धोखाधड़ी , बिक्री के अलावा अन्य कोई ज्ञात श्रोत नहीं है, जिससे इतनी कीमती संपत्ति अर्जित की जा सके।

आज दिनांक 24.09.2023 को जिलाधिकारी महोदया उन्नाव के आदेश के अनुपालन व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के निर्देशन में वाद संख्या 23/2023 धारा 14(1) गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय सदर,

श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर, सहायक अभिलेख अधिकारी व प्रभारी निरीक्षक गंगाघाट व थानाध्यक्ष दही मय भारी पुलिस बल द्वारा अभियुक्त नसीम अहमद उपरोक्त द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित अचल संपत्ति कीमत करीब 1,22,65,26,000/- रु0 को कुर्क/जब्त किया जा रहा है।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नसीम अहमद उपरोक्त-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	886/07	420/467/468/471/506 भादवि	कोतवाली	उन्नाव
2.	522/17	420 भादवि व 3 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0	गंगाघाट	उन्नाव
3.	775/18	506 भादवि	गंगाघाट	उन्नाव
4.	806/18	506 भादवि	गंगाघाट	उन्नाव
5.	467/19	447 भादवि व 3 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0	गंगाघाट	उन्नाव
6.	निल/22	3/4 गुण्डा नियंत्रण अधि0 दिनांक 18/06/2022	गंगाघाट	उन्नाव
7.	331/23	427/447/504/506 भादवि	गंगाघाट	उन्नाव
8.	440/23	2/3 यूपी गैगस्टर एक्ट	गंगाघाट	उन्नाव

2
(आवश्यक सूचना)
थाना कोतवाली- गंगाघाट जनपद उन्नाव के मु0अ0सं0 440/23 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धितअभियुक्त नसीम अहमद पुत्र हाजी अखलाख अहमद निवासी के0डी0ए0 कालोनी जाजमऊ कानपुर नगर हाल पता –अखलाक नगर गंगाघाट उन्नाव की अचल सम्पत्ति – ग्राम कटरी पीपरखेडा परगना हडहा तहसील व जिला उन्नाव की भूमि गाटा संख्या 1720ख , 1726ख , 1728क क्षेत्रफल 0.3000 हे0 , 0.0700 हे0 , 0.2300 हे0 जिसको न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट उन्नाव के आदेश दिनांक 22/09/2023 वाद संख्या- 23/2023 सरकार नसीम अहमद अंतर्गत धारा 14(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट में कुर्क/जब्त की जाती है । इस सम्पत्ति को क्रय और विक्रय करना कानूनी रूप से दण्डात्मक है ।
(आदेशानुसार- जिला मजिस्ट्रेट महोदया उन्नाव)

प्रेस नोट- दिनांक 24.09.2023
थाना बांगरमऊ ,जनपद उन्नाव ।

• दो शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की दो मोटरसाइकिल बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा दो अभियुक्तों को चोरी की दो मोटरसाइकिल बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 24.09.2023 को उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव व उ0नि0 श्री विनोद कुमार मय हमराह फोर्स द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1. श्यामजी उर्फ सूर्या पुत्र विज्ञान राजपूत उम्र 21 वर्ष निवासी आलू थोक उत्तरी भट्टा पुरवा थाना कोतवाली शहर हरदोई हाल पता टेड़ा शिवाला मो0 पंजावी टोला बांगरमऊ उन्नाव 2. इमरान पुत्र इलियास उम्र 18 वर्ष नि0 मो0 मुन्नू मियां तलैया नदियासा थाना बांगरमऊ उन्मान 3. तालिव पुत्र रियाज उर्फ बब्लू उम्र 18 वर्ष नि0 मो0 नदियासा मुन्नूमिया तलैया थाना बांगरमऊ उन्नाव हाल पता मो0 नसींमगंज बांगरमऊ उन्नाव को मऊ क्रासिंग कस्बा बांगरमऊ को कब्जे से चोरी की दो मोटरसाइकिल (पैशन प्रो व एच.एफ. डीलक्स) बरामद कर मऊ क्रासिंग के पास से गिरफ्तार किया गया। पैशन प्रो मोटरसाइकिल के संबन्ध में थाना बांगरमऊ पर मु0अ0सं0 369/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत है, जिसमें बारमदगी के आधार पर धारा 411 भा0दं0वि0 की बढ़ोत्तर की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

I.श्यामजी उर्फ सूर्या पुत्र विज्ञान राजपूत उम्र 21 वर्ष निवासी आलू थोक उत्तरी भट्टा पुरवा थाना कोतवाली शहर हरदोई हाल पता टेड़ा शिवाला मो0 पंजावी टोला बांगरमऊ उन्नाव

II.इमरान पुत्र इलियास उम्र 18 वर्ष नि0 मो0 मुन्नू मियां तलैया नदियासा थाना बांगरमऊ उन्मान

III.तालिव पुत्र रियाज उर्फ बब्लू उम्र 18 वर्ष नि0 मो0 नदियासा मुन्नूमिया तलैया थाना बांगरमऊ उन्नाव हाल पता मो0 नसींमगंज बांगरमऊ उन्नाव

बरामदगी-

चोरी की एक अदद पैशन प्रो व हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव
2. उ0नि श्री विनोद कुमार
3. कां0 कुशलपाल सिंह ,
4. कां0 पिन्टू वर्मा
5. कां0 कमल सैनी
6. कां0 आशुतोष कुमार

प्रेस नोट- दिनांक 24.09.2023
थाना मौरवां ,जनपद उन्नाव।

• चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय पुरवा के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मौरावां पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 24.09.2023 को उ0नि0 श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुखबिर की सूचना पर बसहा तिराहे की पुलिया के पास से अभियुक्त अनुज गौतम पुत्र भैरो प्रसाद नि0 मो0 नगर चमारनटोला कस्बा व थाना मौरावां जनपद उन्नाव को कब्जे से एक अदद मोबाइल टच स्क्रीन काला सफेद पुराना व नकद 50/- रुपये बरामद हुए तथा चोरी की मोटर साइकिल हीरो HF डीलक्स बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 509/2023 धारा 41/411 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –
अनुज गौतम पुत्र भैरो प्रसाद नि0 मो0 नगर चमारनटोला कस्बा व थाना मौरावां जनपद उन्नाव

बरामदगी-
अभियुक्त के कब्जे से एक मोबाइल टच स्क्रीन काला सफेद पुराना व एक अदद मो0सा0 हीरो HF डीलक्स रंग लाल रजि0 नं0 UP 92 V 2797

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1. व0उ0नि0 श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह
2. हेड का0 राधेश्याम
3. हेड का0 अशोक यादव

प्रेस नोट- दिनांक 24.09.2023

थाना पुरवा ,जनपद उन्नाव।

• 01 किलो 600 ग्राम अवैध गांजे के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय पुरवा के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पुरवा पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को कब्जे से 01 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 24.09.2023 को उ0नि0 श्री सियाराम चौरसिया मय हमराह फोर्स द्वारा अभियुक्त अनुज सिंह पुत्र स्व0 रामसिंह निवासी मंगतखेड़ा थाना पुरवा जनपद उन्नाव को 1600 ग्राम अवैध गांज के साथ पौंगहा मोड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना पुरवा पर मु0अ0स0 435/23 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. अनुज सिंह पुत्र स्व0 रामसिंह निवासी मंगतखेड़ा थाना पुरवा जनपद उन्नाव

बरामदगी-

01 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री सियाराम चौरसिया

2.का0 अरविन्द कुमार

3. का0 शेषनारायण द्विवेदी

4. का0 प्रशान्त सिंह

प्रेस नोट- दिनांक 24.09.2023

थाना सफीपुर ,जनपद उन्नाव ।

• दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 20.09.2023 को थाना सफीपुर पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 268/23 धारा 366 भादवि व 3(2)v SC/ST Act पंजीकृत किया गया था। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भा0दं0वि0 की बढ़ोत्तरी की गई। आज दिनांक 24.09.2023 को उ0नि0 श्री ओम प्रकाश द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मोसिन पुत्र मुख्तार निवासी सराय अख्तयारपुर थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र 21 वर्ष को हुलासी कुंआ मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

मोसिन पुत्र मुख्तार निवासी सराय अख्तयारपुर थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र 21 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री ओमप्रकाश

हे0का0 ईश्वरदयाल